राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.5 (294)निपेवि/नियम/2019/पार्ट–3/706-760H दिनांक : 15.03.2019

कोषाधिकारी (समस्त)
.......................राजस्थान

विषयः–वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 06.06.18 एवं 18.07.18 के तहत दिनांक 01.01.16 से पूर्व सेवानिवृत /मृत पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन/पारिवारिक पेंशन संशोधन करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्री–2016 के प्रकरणों का निस्तारण करने एवं पेंशन संशोधन करने हेतु वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 06.06.18 एवं 18.07.18 से दिशा निर्देश जारी किये हैं। उक्त ज्ञापनों के तहत राज्य सरकार ने दिनांक 01.01.1991 से पूर्व के प्रकरणों में पेंशन निर्धारण का कार्य निदेशालय, पेंशन विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पेंशन विभाग द्वारा संपादित किया जा रहा है। संशोधित अधिकृतियॉ जारी करते समय पेंशन विभाग के द्वारा रिकार्ड के आधार पर संशोधित पेंशन अधिकृतियों में पारिवारिक पेंशनर की जन्म दिनांक का अंकन किया जा रहा है।

लेकिन कतिपय कोषालयों के द्वारा संशोधित अधिकृति में अंकित पारिवारिक पेंशनर की जन्म दिनांक को टी.एस. रजिस्टर व पे.मैनेजर पर अंकित नही किया जा रहा है व पेंशनर को यह आग्रह किया जा रहा है कि जन्म दिनांक हेतु अलग से पेंशन विभाग से पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें, जिसके आधार पर पारिवारिक पेंशनर की जन्म दिनांक का अंकन कर उन्हे नियमानुसार 80,85,90,95 व 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर देय अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जा सके। उक्त प्रक्रिया अपनाने से पेंशनर्स को अनावश्यक परेशानी हो रही है। साथ ही इस प्रकार की प्रक्रिया में पत्रावली को पुनः रिकार्ड से प्राप्त कर संबंधित पी.आर. अनुभाग से पत्र जारी करने में अनावश्यक श्रम, समय व राजकीय व्यय बढेगा।

अतः उक्त संबंध में सभी कोषाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि प्री–2016 के प्रकरणों में जारी संशोधित अधिकृति में अंकित पारिवारिक पेंशनर की जन्म दिनांक के आधार पर टी.एस.रजिस्टर व पें.मैनेजर पर आवश्यक अंकन कर नियमानुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ पेंशनर को देना सुनिश्चित करें व पेंशनर को अलग से पेंशन विभाग से जन्म दिनांक हेतु पत्र प्राप्त करने हेतु आग्रह नही किया जावें। साथ ही संशोधित अधिकृतियॉ बैंको को भिजवाते समय उन्हे भी पेंशन डेटा में पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि का अंकन करने हेतु आग्रह किया जावे।

भवदीय,
ह०
(जमन लाल जांगिड)
निदेशक

क्रमांकः– प.5 (294)निपेवि/नियम/2019/पार्ट–3/706-760H दिनांकः– 15.03.2019
प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय ....
2. निदेशक, कोष एवं लेखा राज. जयपुर
3. उपनिदेशक, आईएफपीएमएस, कार्यालय हाजा
4. एसीपी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को भिजवाकर लेख है कि सभी कोषालय व बैंको को मेल करें।
5. सहा.निदेशक, प्री–2016 (संशोधन प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा

संयुक्त निदेशक